Allotment of Tender for Installation of Street Lights

***1107. SMT. KIRAN CHOUDHARY, M.L.A.:-**Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

a) Whether it is a fact that turnover limit has been enhanced by the Government to restrain MSME companies from participating in the tendering process of installation of street light in State;

b) the reasons for which tender was allocated at the cost of Rs. 1100 Crore when the Central Government Companies are ready to do the same work at the cost of Rs. 600 Crore; and

c) the details of persons/agencies responsible for such huge loss to the state exchequer together with the action taken by the Government in the matter?

Anil Vij, Urban Local Bodies Minister

Sir, a statement is laid on the Table of House.

Statement in Starred Assembly Question No.1107, August, 2021

a) No Sir. The MSME companies have not been restrained at all from participating in the tendering process of installation of LED street light system in the State. The Urban Local Bodies Department after taking approval of Competent Authority floated a tender on 28.04.2021 for installation of LED street lights in the state wherein the average turnover for the bidder was fixed at Rs. 150 cr. As per Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise notification dated 01.06.2020 the criteria for classification of medium enterprise has been revised as under :-

> *"iii) a medium enterprise, where the investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed fifty crore rupees and turnover does not exceed two hundred and fifty crore rupees."*

So the tender was an open tender and therefore there was no bar on MSME(s) from participating in the tender.

b) This question is irrelevant as the tender has not been allotted to any bidder till date. The technical bids have been opened and are under examination. No Central Government company has ever expressed its willingness or has given any offer to execute the said work at the cost of Rs. 600 cr.

c) This part of the question is irrelevant in view of answers given at (a) and (b) above.

स्ट्रीट लाइटों को लगाने के लिए निविदा का आबंटन

*1107. **श्रीमती किरण चौधरी, एम. एल. ए. :–** क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि :–

(क) क्या यह तथ्य है की राज्य में स्ट्रीट लाइटों को लगाने की निविदा प्रक्रिया में एम. एस.एम.ई. कम्पनियों को भाग लेने से रोकने के लिए टर्न ओवर सीमा को सरकार द्वारा बढ़ाया गया है ;

(ख) 1100 करोड़ रूपए की लागत पर निविदा आबंटित करने के क्या कारण थे जबकि उसी कार्य को केन्द्रीय सरकार की कम्पनियां 600 करोड़ रूपये की लागत पर करने को तैयार थी ;

(ग) राजकीय कोष को इतनी बड़ी हानि पहुंचाने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों/एजेंसियों का ब्यौरा क्या है तथा इस विषय में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

अनिल विज, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

तारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या 1107, अगस्त 2021, का विवरण

क) नहीं, श्रीमान जी। प्रदेश में एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट सिस्टम लगाने की टेंडर प्रक्रिया में एम.एस.एम.ई. कंपनियों को भाग लेने से बिल्कुल भी नहीं रोका गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने उपरांत 28.04.2021 को राज्य में एल.ई.डी.. स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए एक निविदा जारी की, जिसमें निविदां में भाग लेने के लिए निविदांकर्ता का औसतन कारोबार 150 करोड रु निश्चित किया गया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.06.2020 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार मध्यम उद्यम के वर्गीकरण के मानदंडों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है: –

(iii)"*मध्यम उद्यम वह है जिसमें संयत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में पचास करोड़ रूपये से अधिक का निवेश नही होता है तथा उसका कारोबार दौ सौ पचास करोड़ रूपये अधिक नही होता है।*"

अतः आमंत्रित की गई निविदा एक खुली निविदा थी और एम.एस.एम.ई. कम्पनियों पर निविदा में भाग लेने पर कोई रोक नहीं थी।

ख) यह प्रश्न अप्रासंगिक है क्योंकि आज तक किसी भी निविदांकर्ता को निविदा/कार्य आवंटित नहीं किया गया है। तकनीकी बोलियां खोली जा चुकी हैं तथा उनकी जांच की जा रही है। केंद्र सरकार की किसी भी कंपनी ने उक्त कार्य को 600 करोड रु में निष्पादित करने की कोई भी इच्छा व्यक्त न की है।

ग) उपरोक्त (क) और (ख) में दिए गए उत्तरों को देखते हुए प्रश्न का यह भाग अप्रासंगिक है।